

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
भंडालय

56

क्रमांक/ 2141 /1606/07/सीसी/38,

भीषाल, दिनांक 2-1-08

प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
सतुलडा भवन, भीषाल ।

विषय:- मध्य प्रदेशी विद्याविद्यालय एवं संचालन अधिनियम 2007 के कार्याधी आदेश ।

=====

कृपया मध्य प्रदेश निजी विद्याविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन हेतु प्रकोष्ठ स्थापना के लिये वित्त विभाग द्वारा 17 पदों के लिये अनुमति हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा योजना सीमा में राशि रु 14.28 लाख रु 8 चोदक - लाख अट्ठाईस हजार मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

यह नवीन योजना है । प्रकट का प्रावधान कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा किया जाता है ।

वित्त विभाग द्वारा जिन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है वह निम्न है :-

1.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	एक पद	25,000/-	25,000/-
2.	अधिक/अनुभाग अधिकारी	दो पद	10,000/-	20,000/-
	वित्तीय सहायक/एकाउन्टेन्ट	दो पद		
3.	ग्रोस्रामर	दो पद	8,000/-	16,000/-
4.	डाटा एन्ट्रीऑपरेटर	दो पद	4,000/-	8,000/-
5.	स्टेनोग्राफर	तीन पद	5,000/-	15,000/-
6.	ऑफिस भाव	पाँच पद	3,000/-	15,000/-

कुल- एकत्र पद 1,19,000/- x 12 = 14,28,000.

अतः उक्त राशि वित्त विभाग से प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्याधी की जाहूर की गई कार्याधी से विभाग को अवगत कराये ।

डॉ. रमेश चन्द्र शर्मा

उपसचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
भीषाल, दिनांक 2-1-08

पु090/ 2142 /1606/07/सीसी/38,

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भंडालय भीषाल की ओर सूचनाार्थ ।
2. उपसचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भंडालय की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्याधी हेतु प्रेषित है ।

उपसचिव